13

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

बंदोबस्ती केन्सीलेशन केश न0-11/13-14

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

सरगुन दास

-: आदेश :-

दिनांक

21/09/17

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती केश नं0–27/2009–10 (सरगुन दास बनाम रैयान मौजा–पुनसिया) जिसके द्वारा मौजा–पुनसिया के दाग नं0–38/722 रकवा 00–12–19 धूर जमीन प्रतिपक्ष सरगुन दास, पे0–कैलू दास, सा0–पुनसिया के साथ बंदोवस्ती की गयी है, को रद्ध करने के लिए अनुशंसा किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि बंदोवस्ती जमीन गोड्डा कॉलेज परिसर के अर्न्तगत है एवं बंदोवस्तदार द्वारा न तो बंदोवस्त जमीन खंडित किया है और न ही जोत आबाद किया जा रहा है।

प्रस्ताव के आलोक में प्रतिपक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया। प्रतिपक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा गया एवं इस वाद में गोड्डा कॉलेज की ओर से भी मध्यागन्तुक पक्षकार के रूप अपना पक्ष रखा गया।

प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–पुनसिया नं0–521 खाता नं0–72 दाग नं0–30/722 रकवा 00–12–19 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। प्रतिपक्ष मौजा पुनसिया के मूल निवासी है एवं भूमिहीन व्यक्ति है जो हरिजन जाति से है और अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है। उन्होंने उक्त जमीन की बंदोवस्ती के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दिया कि वे बिल्कुल ही भूमिहीन व्यक्ति है एवं जीवनयापन के लिए उन्हें कोई साधन नहीं है। इसलिए उक्त जमीन की बंदोवस्ती उनके साथ की जाय। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित

किया गया एवं उस जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि प्रतिपक्ष मौजा के भूमिहीन व्यक्ति है एवं बंदोवस्ती पाने के लिए योग्य व्यक्ति है। अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया। मौजा पुनसिया के सौलह आना रैयतों की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश दिनांक–10.10.2009 के द्वारा प्रतिपक्ष के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी एवं जमीन पर प्रतिपक्ष को दखल दिहानी भी दिलाया गया तथा बंदोवस्त जमीन का ट्रेश मेप भी तैयार किया गया। उसके बाद प्रतिपक्ष कठिन परिश्रम करके उक्त बंदोवस्त जमीन को खेती करने योग्य बनाया तथा उस पर खेती कार्य कर रहे हैं एवं कुछ अंश की जमीन पर मकान बनाया है तथा उस पर सपरिवार निवास कर रहें हैं और सरकार को खजाना देकर खजाना रसीद भी प्राप्त कर रहें हैं। उनका आगे कथन ही जिस कर्मचारी के द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन पर बंदोवस्ती की गयी थी, वही कर्मचारी द्वारा प्रतिपक्ष के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए आवेदन दिया कि बंदोवस्ती जमीन बंदोवस्तदार के दखल में नहीं है। उक्त जमीन बंजर पड़ा हुआ है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, गोड्डा ने उक्त जमीन की बंदोवस्ती को रद्ध करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रस्ताव समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने प्रतिपक्ष को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश दिया कि पिछले पाँच वर्ष से उन्होंने किन परिस्थितियों में उक्त वंदोवस्त जमीन को बंजर छोड़ दिया है और क्यों नहीं उनके साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्ध किया जाय। प्रतिपक्ष अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उस पर लगाये आरोप का खंडन करते हुए अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत प्रतिपक्ष के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अंतिम निर्णय हेतु प्रस्ताव समर्पित किया है। उनका आगे कथन है कि संथाल परगना काश्तकारी में यह स्पष्ट उल्लेख है कि बंदोवस्ती के बाद 5 वर्ष के भीतर वंदोवस्ती जमीन का जोत आवाद नहीं किया जाता है तो मौजा के जमाबंदी रैयत मौजा, प्रधान या जमीनदार के आवेदन पर बंदोवस्ती को रद्ध किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रतिपक्ष

(14)

स्पष्ट करना चाहता है कि प्रतिपक्ष बंदोवस्ती के बाद से ही उक्त जमीन पर दखलकार है तथा उस जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती कार्य करते आ रहें हैं और उस पर उनका आवासीय मकान भी बना हुआ है तथा उसपर वे सपरिवार निवास करते हुए खेती कार्य करते हैं। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा का प्रतिवेदन बिल्कुल ही गलत एवं गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने 5 वर्ष के पूर्व संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए प्रस्ताव दिया है जबकि प्रतिपक्ष उस बंदोवस्त जमीन पर बंदोवस्ती के बाद से ही लगातार दखलकार है। इसलिए अंचल अधिकारी, गोड्डा का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने बंदोवस्त जमीन का वास्तविक स्थिति को देखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया है।

मध्यागन्तुक पक्षकार गोड्डा कॉलेज गोड्डा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन गोड्डा कॉलेज गोड्डा के परिसर के अंदर है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती केन्सीलेशन नं0–11/13–14 (अंचल अधिकारी गोड्डा बनाम् सरगुन दास) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बंदोवस्त जमीन मौजा पुनसिया दाग नं0–38/722 रकवा 00–12–19 धुर जमीन गोड्डा कॉलेज के परिसर के भीतर अवस्थित है एवं बंदोवस्तदार के द्वारा बंदोवस्त जमीन का न तो खेती के उद्धेश्य से खंडित किया गया है और न ही जोत आबाद किया जा रहा है। इसलिए बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अनुशंसा किया जाता है। उनका आगे कथन है कि गोड्डा कॉलेज गोड्डा उक्त बंदोवस्ती से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। लेकिन गोड्डा कॉलेज, गोड्डा को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें नोटिश दिया गया। जबकि गोड्डा कॉलेज गोड्डा वर्ष 1954 ई0 में स्थापित किया गया है और गोड्डा कॉलेज एवं उसके परिसर में तीन मौजा क्रमशः जमुआ, पुनसिया एवं मुरहीडीह का जमीन शामिल है, जिसका रकवा 38.70 एकड़ है। गोड्डा कॉलेज के लिए अपर समाहर्त्ता, दुमका के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया है एवं भूमि अधिग्रहण हेतु कर छूट के लिए उपायुक्त, दुमका के द्वारा माननीय उपायुक्त भागलपुर प्रमंडल को दो बार सिफारिश की गयी है। अधिग्रहण की कार्यवाही भी किया गया था। इस तथ्य को अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा भूमि का सीमांकन के

समय दिनांक 15.09.2010 को स्वीकार किया गया है। उनका आगे कथन है कि गोड्डा कॉलेज गोड्डा वर्ष 1954 ई0 से सफलतापूर्वक चला आ रहा है और माननीय राज्यपाल बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 1974 में स्वीकृति दी गयी है एवं माननीय राज्यपाल बिहार सरकार के द्वारा भूमि के सम्बंध में विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त बंदोवस्ती एक तरफा की गयी है जबकि उक्त बंदोवस्त जमीन गोड्डा कॉलेज परिसर में अवस्थित है। उनका आगे कथन है कि प्रतिपक्ष का दावा भिन्न–भिन्न है। पुनसिया मौजा का रैयत होने का दावा कर रहें हैं, फिर उसे भूमि का स्वरूप बदलने के लिए कैसे अनुमति दिया जा सकता है। यदि उनको खेती के लिए भूमि बंदोवस्त में दी गयी भी तो कैसे उसपर मकान बनाने का दावा कर रहें है। चूँकि भूमि कृषि कार्य के उद्धेश्य से प्रतिपक्ष के साथ बंदोवस्ती की गयी थी। लेकिन बंदोवस्तदार के द्वारा बंदोवस्ती जमीन का 5 वर्ष के भीतर जोत–आबाद नहीं किया था। इसलिए अंचल अधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए प्रस्ताव दिया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा उक्त प्रस्ताव के आधार पर बंदोवस्ती का संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम की धारा 33 के तहत रद्ध करने के लिए अनुशंसा किया है। इसलिए बंदोवस्ती रद्ध होने योग्य है। उन्होंने प्रतिपक्ष के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अनुरोध किया है।

इस सम्बंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 310/रे0भु0 दिनांक–30.08.2019 एवं पत्रांक 41/रे0भु0 दिनांक 08.02.2020 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्ड एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा का संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक–72/रा0 दिनांक–05.02.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पुनसिया थाना नं0–521 गैर मजरूआ खाता नं0–72 के अन्तर्गत दाग नं0–38/722 खतियानी रकवा 00–12–19 धूर जमीन किस्म परती कदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि बंदोवस्ती केन्सीलेशन नं0–11/2013–14 (अंचल अधिकारी, गोड्डा बनाम् सरगुण दास) में दिनांक–24.12.2020 को पारित आदेश "SDO Godda and CO Godda to visit the spot and get the map of area in question, clearly made. Also report how settlement was done whether there was the land

under question was possession of Godda College or not." के आलोक में स्थलीय जाँच किया गया एवं पाया गया कि:–

1. बंदोवस्तदार मौजा–पुनसिया, थाना सं0–521, जमाबंदी सं0–40 कुल खतियानी रकवा 00–18–07 धुर जमाबंदी रैयत बीरबल चमार वगैरह कौम–चमार, सा0–देह का वशंज है। प्रतिपक्ष के हिस्से में लगभग पाँच धुर रैयती जमीन पड़ता है। आवेदक भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के हैं। अचंल अमीन से बंदोवस्त भूमि का मापी कराया गया। वर्तमान में उक्त बंदोवस्त रकवा 00–12–19 धूर जमीन पर प्रतिपक्ष का ईट दिवाल चदरा, छावनी का दो कमरा, प्रधानामंत्री आवास, शौचालय, कुंआँ एवं घेराबन्दी किये हुए है तथा खाली भूमि पर खेती बाड़ी किया जा रहा है। घेराबंदी के अंदर चार–पाँच आम वृक्ष लगा हुआ है। खेती बाड़ी कर अपना जीवकोपार्जन कर रहे है।
2. जाँच के क्रम में उपस्थित गोड्डा कॉलेज, गोड्डा के प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से पाया कि पंडित बुद्धिनाथ झा कैरव, तत्कालीन सचिव, कॉलेज कमिटि, गोड्डा के द्वारा समर्पित आवेदन–पत्र के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के भूमि अधिग्रहण वाद सं0–02/1951–52 में गोड्डा कॉलेज, गोड्डा को प्रस्तावित भूमि में उक्त वादगत भूमि (बंदोवस्त भूमि) समाहित है। परन्तु वर्तमान में गोड्डा कॉलेज, गोड्डा के नाम से कोई भूमि पंजी–।। में दर्ज नहीं है एवं यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक–5/स0भू0, गोड्डा–168/12/2480/रा0, दिनांक–06.08.2012 के संदर्भ में अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–76/रा0, दिनांक–08.02.2013 के आलोक में वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भूमि अपयोजन हेतु दिनांक–17.05.2013 से संधारित गोड्डा कॉलेज, गोड्डा को भूमि हस्तांतरण अभिलेख सं0–01/2013–14 में वर्णित प्रस्तावित भूमि (36.00 एकड़) से उक्त बंदोवस्त भूमि बाहर है।
3. तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक– 21.08.2013 को बंदोवस्ती रद्ध करने हुतु प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसमें अंकित है कि उक्त भूमि गोड्डा कॉलेज, गोड्डा के परिसर अंतर्गत है एवं बंदोवस्तदार के द्वारा उक्त भूमि खंडित कर जोत–अबाद नहीं किया जा रहा है। संथाल

परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–33 में वर्णित है कि पाँच वर्षों के अंदर बंदोवस्त भूमि का बन्दोवस्तदार द्वारा जोत–कोड़ किया जाना अनिवार्य है। केन्सीलेशन हेतु किये गये प्रतिवेदन की तिथि– 21.08.2013 को यह अवधि 03 वर्ष 10 माह 11 दिन ही पूरा हुआ था। इस प्रकार पाँच वर्ष की अवधि पूरी नहीं होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–33 की शर्तों का पालन नहीं किया गया। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में आगे प्रतिवेदित किया है के आवेदक के साथ की गई बंदोवस्ती नियमानुसार है एवं उनके द्वारा जोत–आबाद भी किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गोड्डा कॉलेज, गोड्डा के नाम से पंजी–।। में कायम नहीं हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पुनसिया न0–521 गैरमजरूआ खाता नं0– 72 दाग नं0–38/722 रकवा 00–12–19 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। उक्त जमीन की बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–27/2009–10 (सरगुन दास बनाम् रैयान मौजा पुनसिया) आदेश दिनांक 10.10.2009 के द्वारा प्रतिपक्ष सरगुन दास पे0 कैलू रविदास सा0 पुनसिया के साथ बंदोवस्ती की गयी है। प्रतिपक्ष सरगुन दास मौजा पुनसियाके जमाबंदी सं0–40 कुल खतियानी रकवा 00–18–07 धूर जमीन के जमाबंदी रैयत बीरबल चमार वगै0 का परपोता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत प्रतिपक्ष के साथ उक्त बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए आदेश दिनांक–19.01.2016 के द्वारा यह कहते हुए अनुशंसा किया है कि उक्त बंदोवस्त जमीन गोड्डा कॉलेज परिसर के अन्तर्गत है एवं बंदोवस्तदार सरगुन दास द्वारा उक्त जमीन को खंडित कर जोत–आबाद नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त बंदोवस्त जमीन पर प्रतिपक्ष का दखल कब्जा है एवं बंदोवस्ती रद्ध करने हेतु दिये गये प्रतिवेदन तिथि दिनांक–21.08.2013 को यह अवधि 03 वर्ष 10 माह 11 दिन होता है। 5 वर्ष की अवधि पूरा नहीं किये जाने कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा किया गया अनुशंसा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के अनुरूप प्रतीत नहीं है। जाँच प्रतिवेदन

से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिपक्ष मौजा पुनसिया के जमाबंदी रैयत के परपोता है एवं उक्त बंदोवस्ती जमीन गोड्डा कॉलेज गोड्डा को भूमि हस्तान्तरण अभिलेख सं0–01/2013–14 में वर्णित प्रस्तावित भूमि से बाहर है। ऐसी स्थिति अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा का संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत प्रतिपक्ष के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्ध करने सम्बंधी अनुशंसा नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा मौजा पुनसिया 521 गैरमजरूआ खाता नं0–72 दाग नं0–38/722 रकवा 00–12–19 धूर जमीन का बंदोवस्ती रद्ध करने सम्बंधी अनुशंसा अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

29/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

DB No-170
29/09/21

Seen
Mishra
Adv
8-10-21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:08:14 +05:30
Location: 192.168.29.8